निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 ज्येष्ठ 1939 (श0)

(सं0 पटना 508) पटना, शुक्रवार, 16 जून 2017

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

21 मार्च 2017

सं0 22/नि0सि0(भाग0)–09–02/2010/431––श्री मुकुल कुमार श्रीवास्तव, आई०डी०–3287 कार्यपालक अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण प्रमंडल सं0–2, अनिसाबाद, पटना द्वारा वर्ष 2004–05 में सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल सं0–2, बांका के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितताओं के लिए निम्नांकित आरोपों को गठित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–253, दिनांक 27.01.2015 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी :–

(i) ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल सं0–2, बांका द्वारा कार्यान्वित योजना क्रमांक 01, वर्ष 2004–05 के प्राक्कलन के अनुसार 240′–0″ लंबा, 2′–0″ आंतरिक चौड़ा एवं 2′–0″ ऊँचाई का नाला निर्माण किया जाना था जिसके दोनों दीवाल की मुटाई 10″ होनी चाहिए परंतु स्थलीय जाँच में 125′ लंबाई में 1′–0″ आंतरिक चौड़ाई एवं 1′–0″ऊँचाई जिसका दोनों दीवाल 5″ मोटा पाया गया। इसके अतिरिक्त 110′–0″ लंबाई में 1′–0″ आंतरिक चौड़ाई में एवं 1′–0″ दोनों दीवाल क्रमशः 5″ एवं 10″ चौड़ा पाया गया जबकि मापीपुस्त में प्राक्कलन के अनुरूप प्रविष्टि की गयी है।

इस प्रकार योजना क्रमांक–01, वर्ष 2004–05 के तहत निर्माण कार्य में प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं कराने कराये गये कार्य से मापीपुस्त में अंकित मिले कार्य की जाँच के लिए प्रथमदृष्टया दोषी है।

(ii) ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल सं0–2, बांका द्वारा कार्यान्वित योजना क्रमांक–03, वर्ष 2004–05 के प्राक्कलन के अनुसार 490′–0″ लंबाई में 10′–0″ ऊँचा बाँध का निर्माण किया जाना था। मापीपुस्त में भी उक्त प्रविष्टि की गयी है परंतु स्थलीय जाँच में 300′–0″ लंबाई में 6′–8″ ऊँचा मिट्टी का कार्य कराया गया पाया गया। इस प्रकार स्थल जाँच में ये प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं कराने एवं वास्तविक कार्य से अधिक कार्य की मापी के लिए प्रथमदृष्टया दोषी है।

(iii) ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल सं0–2, बांका द्वारा कार्यान्वित योजना क्रमांक–04, वर्ष 2004–05 में कराये गये नाला निर्माण की प्रविष्टि संबंधित मापीपुस्त में 215′–0″ लंबाई में ही नाला का दोनों दीवाल 10′X1′6″ के उपर 3″पी0सी0सी0 की प्रविष्टि इनके द्वारा जाँचित है एवं इनके द्वारा स्थल पर कार्य पाये जाने के बाद मापीपुस्त पर

हस्ताक्षर करने की बात कही गयी है जबकि जाँच दल द्वारा 215'–0" के स्थान पर मात्र 195'–0" लंबाई में नाला का निर्माण पाया गया।

इस प्रकार प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं कराने एवं वास्तविक कार्य से अधिक कार्य की मापी जाँच के लिए प्रथमदृष्टया दोषी है।

(iv) ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल सं0–2, बांका द्वारा कार्यान्वित योजना क्रमांक–05, वर्ष 2004–05 में कराये गये उत्पादन–सह–बिक्री केन्द्र के निर्माण से संबंधित मापीपुस्त में इनके द्वारा अंकित किया गया है कि 180वर्गफीट कारपेट एरिया के जगह 211.6 वर्गफीट कारपेट एरिया का कार्य कराया गया है। इस प्रकार बिना सक्षम प्राधिकार से प्राक्कलन को पुनरीक्षित कराये इनके द्वारा अधिक कारपेट एरिया का कार्य कराया गया तथा खिड़की एवं प्लास्टर कार्य की मापी की जाँच इनके द्वारा की गयी है वह कार्य वस्तुतः हुआ ही नहीं है जिसके लिए प्रथमदृष्टया दोषी हैं।

(v) ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल सं0–2, बांका द्वारा कार्यान्वित योजना क्रमांक–06, वर्ष 2004–05 में कराये गये कूप निर्माण के कार्य में कुएँ की गहराई स्थलीय जाँच में 32'–0" के विरूद्ध 13'–0" पाया गया तथा योजना के प्रावधान के बिना कुँआ के चारों तरफ 3'–9" चौड़ाई में प्लेटफार्म का निर्माण पाया गया।

इस प्रकार स्वीकृत मात्रा से कम मात्रा में कार्य कराकर प्राक्कलन के अनुरूप कार्य की मात्रा को जाँच करने एवं तदनुसार भुगतान कराये जाने के लिए प्रथमदृष्टया दोषी हैं।

(vi) ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल सं0–2, बांका द्वारा कार्यान्वित योजना क्रमांक–07, वर्ष 2004–05 में कराये गये उत्पादन–सह–बिक्री केन्द्र निर्माण कार्य में स्थलीय जाँच में प्राक्कलन के अनुरूप दो अदद स्टील खिड़की 2'–6"X 4'–0" नहीं पाया गया जबकि मापीपुस्त में लोकल लकड़ी का एक दरवाजा एवं एक खिड़की की प्रविष्टि है परंतु Shlaves की प्रविष्टि नहीं है तथा इनके द्वारा अंकित किया गया है कि कार्य स्थल पर कार्य पाये जाने के फलस्वरूप ही मापीपुस्त पर हस्ताक्षर किया गया है।

इस प्रकार प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं कराने एवं बिना स्वीकृति के कराये गये कार्य से भिन्न कार्य कराने तथा अधिक कार्य की मात्रा की जाँच के लिए प्रथमदृष्टया दोषी हैं।

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–770, दिनांक 10.11..2015 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर किये जाने के उपरांत लिये गये निर्णय के आलोक में जाँच प्रतिवेदन से सहमत होकर प्रमाणित आरोपों के लिए श्री मुकुल कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन सहायक अभियंता सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण प्रमंडल सं0–2, अनिसाबाद, पटना से विभागीय पत्रांक–316, दिनांक 19.02.2016 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की गयी।

विभागीय पत्रांक–316, दिनांक 19.02.2016 के आलोक में श्री श्रीवास्तव, तत्कालीन सहायक अभियंता सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण प्रमंडल संख्या–2, अनिसाबाद, पटना के पत्रांक–78, दिनांक 09.03.2016 द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा के प्रत्युत्तर में आरोपवार निम्नांकित तथ्यों को प्रस्तुत किया गया :–

आरोप सं0 1:–यह योजना जिला परिषद सदस्या श्रीमती सुजाता देवी की अनुशंसा के आलोक में रामचन्द्रपुर एवं लौसा ग्राम को जोड़ने वाली क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मति एवं नाला निर्माण से संबंधित है जिसकी प्राक्कलित राशि रूपये 101700.00 (एक लाख एक हजार सात सौ) मात्र है। प्राक्कलन में 400फीट लंबाई में पथ के दोनों ओर प्रत्येक फ्लैंक में मिट्टी भराई, क्षतिग्रस्त भाग एवं बीच में मिट्टी भराई के पश्चात बिना संपीडन के डब्लू0बी0एम0 ग्रेड–I एवं उसके ऊपर मोरम डालकर सड़क को यातायात हेतु सुगम बनाने का लक्ष्य था। इस निर्माण के पूर्व इस सम्पर्क पथ पर वाहनों का आवागमन लगभग ठप था। सड़की की मरम्मति के साथ 240फीट में नाला निर्माण का कार्य कराना था। प्राक्कलन के प्रावधान के अनुरूप सड़क मरम्मति एवं नाला निर्माण का कार्य विभागीय अभिकर्त्ता श्री कुलानंद मिश्र, कनीय अभियंता द्वारा सीधे प्रमंडल से अग्रिम लेकर कराया गया। कार्य पूर्ण होने के पश्चात मापीपुस्त पर अंकित मापी के अनुरूप कार्य स्थल पर कार्य पाये जाने के फलस्वरूप इनके द्वारा स्थल निरीक्षण के पश्चात दिनांक 29.01.2005 को मापीपुस्त पर हस्ताक्षर किया गया जिसे कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बांका द्वारा पारित किया गया।

योजना पूर्ण होने के पश्चात रामचन्द्रपुर ग्राम का सम्पर्क लौसा एवं लौसा के आगे पड़नेवाले ग्रामों से हो गया। उस अवधि में उस क्षेत्र में विभिन्न मदों यथा प्रधानमंत्री सड़क योजना, सांसद मद, विधायक मद से अनेक योजनाओं पर निर्माण कार्य चल रहा था। सम्पर्क पथ बन जाने से इस पथ पर भारी वाहनों जैसे जे0सी0बी0 मशीन, ट्रक, ट्रैक्टर आदि का आवागमन प्रारंभ हो गया। निर्माण कार्य पूर्ण होने के लगभग 2½ (ढाई) साल पश्चात श्रीमती सुजाता देवी, जिला परिषद सदस्या उत्तरी क्षेत्र अमरपुर द्वारा भारी वाहनों के कारण नाला क्षतिग्रस्त होने की सूचना देते हुए क्षतिग्रस्त नाले से प्राप्त ईंटों एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था कर ग्रामीण के सहयोग से काम चलने लायक नाला

निर्माण कराने की बात बताते हुए इनसे नाला को पूर्व में किये गये निर्माण के अनुरूप पुनर्स्थापित करने हेतु प्राक्कलन तैयार कराने का अनुरोध किया गया। जिसे इनके द्वारा श्री कुलानंद मिश्र, तत्कालीन कनीय अभियंता को अग्रसारित कर दिया गया। लगभग तीन वर्ष नौ माह बाद जाँच दल द्वारा उक्त कार्य की जाँच की गयी और स्थल पर पाया गया कार्य मापी पुस्तिका से भिन्न पाया गया। जाँच दल द्वारा जिस कार्य का जाँच किया गया वह कार्य जिला परिषद सदस्या द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से कराया गया कार्य का न कि ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल द्वारा कराया गया कार्य।

इसलिए कार्य स्थल पर पाये गये कार्य एवं मापीपुस्तिका पर अंकित कार्य में भिन्नता होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसकी पुष्टि जिला परिषद सदस्या द्वारा इनको दिनांक 20.06.2007 को लिखे गये पत्र से भी होती है।

आरोप सं0 2:– यह कार्य गंगापुर कुशवाहा बाँध के निर्माण से संबंधित है जिसकी प्राक्कलित राशि रूपये 150800.00 (एक लाख पचास हजार आठ सौ) है। इस कार्य में 490फीट की लंबाई में एवं औसत 10फीट की ऊँचाई में मिट्टी भराई का कार्य कराना था। जिस भाग में कार्य कराना था उसके दोनों तरफ ऊँचा भू–भाग एवं बीच में भैली आकार का टोपोग्राफी था। बाँध की ऊँचाई 0–चेन से 1फीट 0 ईंच से शुरू होकर बीच में लगभग 14फीट 0 ईंच एवं फिर दूसरे तरफ अन्त में 1फीट 0 ईंच हो जाता है। बाँध के ऊँचाई की गणना प्रत्येक 50फीट दूरी पर बाँध की ऊँचाई का औसत निकाल कर किया गया है जो 10'0" आता है। जाँच दल द्वारा इसी बिन्दु पर बाँध की ऊँचाई 6फीट 8 ईंच पाया गया है जिसकी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, परंतु निर्माण के समय पुरी लंबाई में अनेक बिन्दुओं पर ऊँचाई निकालकर एवं औसत करने पर 10फीट 0 ईंच आती थी। कार्यस्थल पर मापीपुस्त के अनुरूप कार्य पाये जाने के फलस्वरूप इनके द्वारा दिनांक 30.04.2005 को हस्ताक्षर किया गया। दिनांक 20.06.2007 को श्रीमती सुजाता देवी, जिला परिषद सदस्या द्वारा इन्हें सूचित किया गया कि बाँध को दोनों तरफ से कृषकों द्वारा काटकर कुछ भाग में मिला लिया गया है। जिसके पुनर्स्थापन हेतु एक प्राक्कलन तैयार करने का अनुरोध किया गया था जिसके इनके द्वारा तत्कालीन कनीय अभियंता श्री कुलानंद मिश्र को अग्रसारित कर दिया गया था। निर्माण के पश्चात कृषकों द्वारा बाँध का कुछ भाग काट कर खेत में मिला लेने के फलस्वरूप जाँच दल द्वारा दिनांक 01.09.2008 को स्थल जाँच के क्रम में स्थल पर पाये गये बाँध की लंबाई एवं मापीपुस्तिका पर अंकित मापी में भिन्नता होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

जाँच दल द्वारा जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 में स्वीकृत योजना की मिट्टी भराई कार्य का पाँच वर्षा ऋतु के बाद वास्तविक मूल्यांकन करना संभव नहीं हुआ।

आरोप सं0 3:– यह योजना रामचन्द्रपुर में नाला निर्माण से संबंधित है जिसकी प्राक्कलित राशि 51300.00(इक्यावन हजार तीन सौ) रूपये है। वर्ष 2005 की निर्मित योजना के संबंध में श्रीमती सुजाता देवी, सदस्या जिला परिषद उत्तरी क्षेत्र अमरपुर द्वारा वर्ष 2007 में नाला के क्षतिग्रस्त होने की सूचना देते हुए इसके पुनर्स्थापन का अनुरोध किया गया जिसे तत्कालीन कनीय अभियंता को अग्रसारित कर दिया गया। वर्ष 2008 में जाँच दल द्वारा जाँच के क्रम में मापीपुस्त में अंकित कार्य एवं स्थल पर उपलब्ध कार्य में भिन्नता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

आरोप सं0 4:– यह एक व्यक्तिगत लाभ की योजना थी जिसे लाभुक की सुविधा योजना की अनुशंसा पर ही बिना किसी मौलिक बदलाव के सम्पन्न कराया गया। कार्यस्थल पर कराये गये कार्य मदों का मूल्यांकन मापीपुस्त पर अंकित मूल्यांकन से अधिक होने के बावजूद स्वीकृत राशि के अन्तर्गत ही भुगतान हेतु अनुशंसा की गयी थी।

आरोप सं0 5:– यह योजना पेयजल कूप निर्माण योजना से संबंधित है। यह एक व्यक्तिगत लाभ की योजना है जिसे लाभुक के हितों एवं अनुशंसा करने वाली जिला परिषद सदस्या के अनुरोध पर एक प्लेटफार्म निर्माण के साथ पूर्ण कराया गया है। कार्य पूर्ण होने के लगभग चार वर्षों के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के फलस्वरूप कूप की गहराई कम होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। कूप में पानी भरे रहने की बात जाँच दल द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

स्थल पर पाये जाने वाले कार्य का मूल्यांकन मापीपुस्त में अंकित मूल्यांकन से अधिक होने के बावजूद स्वीकृत राशि के अन्तर्गत ही भुगतान की अनुशंसा की गयी थी।

आरोप सं0 6:– यह योजना उत्पादन–सह–बिक्री केन्द्र निर्माण की एक व्यक्तिगत लाभ की योजना है। वर्ष 2005 में निर्मित योजना की जाँच वर्ष 2008 में की गयी है। इस अवधि से लाभुक द्वारा अपनी सुविधानुसार कुछ परिवर्तन करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रतिकूल परिस्थिति यथा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता, कुशल मजदूरों की अनुपलब्धता, स्वयं के हेपटाईटीस–बी एवं लीवर की गंभीर बीमारी रहने के बावजूद लाभुकों के अधिकतम उपयोग में आनेवाली योजना राशि का अधिकतम उपयोग करने एवं कहीं भी स्वीकृत राशि से ज्यादा राशि

व्यय न हो, इन बिन्दुओं का पालन करते हुए जनहित, कार्यहित एवं विभागीय नियमों का पालन करते हुए कार्यों का संपादन कराया गया है।

श्री श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त तथ्यों की समीक्षा सरकार के स्तर पर किये जाने के उपरांत निम्नांकित तथ्य पाये गये :–

(i) योजना सं0–01/04–05 में प्राक्कलन के अनुसार 240फीट लंबा, 2फीट चौड़ा एवं 2फीट गहरा नाला का निर्माण करना था जिसके दोनों दीवाल की मुटाई 10 ईंच होनी चाहिए थी किन्तु स्थलीय जाँच में मात्र 125फीट लंबा, 1फीट चौड़ा एवं 1फीट गहरा नाला का निर्माण कराया गया। साथ ही नाला के दीवाल की मुटाई 10 ईंच के स्थान पर मात्र 5 ईंच पायी गयी जबकि मापीपुस्त में प्रविष्टि प्राक्कलन के अनुसार की गयी थी। आरोपी पदाधिकारी ने अपने द्वितीय कारणपृच्छा के उत्तर में उल्लेख किया है कि भारी वाहनों के कारण नाला क्षतिग्रस्त हो गया परंतु नाला की लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई तथा दीवाल की मुटाई प्राक्कलन के अनुसार क्यों नहीं बनाया गया, इस बिन्दु पर कोई जबाब नहीं है। तीन वर्ष के पश्चात भी जाँच किये जाने पर नाला की चौड़ाई, गहराई एवं दीवाल की मुटाई में कमी संभव नहीं है। अतएव इस बिन्दु पर आरोपी पदाधिकारी का कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

(ii) योजना सं0–3/2004–05 में प्राक्कलन के अनुसार 490फीट लंबा, 10फीट ऊँचाा बाँध का निर्माण किया जाना था। मापीपुस्त में भी इतने कार्य का उल्लेख है जबकि स्थलीय जाँच में बाँध का निर्माण 300फीट लंबा एवं 6फीट 8ईंच ऊँचा पाया गया।

आरोपी पदाधिकारी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में अंकित किया है कि बाँध निर्माण के पश्चात कृषकों द्वारा बाँध का कुछ भाग काटकर खेत में मिला लेने के कारण जाँच दल द्वारा बाँध की लंबाई में कमी पाया गया। साथ ही पाँच वर्षा ऋतु के बाद कराये गये मिट्टी के कार्य का वास्तविक मूल्यांकन संभव नहीं है। आरोपी का यह कथन भी स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि अगर बाँध कार्य को कृषकों द्वारा काटकर खेत में मिला लिया गया था तो इस आशय का प्रतिवेदन आरोपी पदाधिकारी को अपने उच्चाधिकारी को देना चाहिए था जो नहीं किया गया।

(iii) योजना सं0–04/04–05 में 215फीट लंबा नाला के दोनों दीवाल 10ईंच x 1फीट 6 ईंच के ऊपर 3 ईंच पी0सी0सी0 कार्य कराया जाना था। स्थलीय जाँच में 215 फीट की जगह 195फीट ही नाला का निर्माण कराया गया, पाया गया। जबकि मापीपुस्त में प्राक्कलन के अनुसार प्रविष्टि की गयी थी।

आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने द्वितीय कारणपृच्छा में उल्लेख किया गया है कि जिला परिषद सदस्या श्रीमती सुजाता देवी द्वारा वर्ष 2007 में नाला के क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी गयी थी जिसके कारण स्थलीय जाँच में नाला की लंबाई में कमी पाया गया। नाला का निर्माण पक्का कार्य है जिसके किसी कारण विशेष से क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में भी अवशेष रहना चाहिए था। क्षतिग्रस्त नाले का पूर्ण अस्तित्व समाप्त हो जाना संभव नहीं है।

(iv) आरोपी पदाधिकारी ने इस बिन्दु पर अपने द्वितीय कारणपृच्छा में अंकित किया है कि यह व्यक्तिगत लाभ की योजना थी जिसे बिना किसी मौलिक बदलाव के लाभुक की सुविधा के लिए सम्पन्न कराया गया। प्राक्कलन में विहित कारपेट एरिया 180वर्गफीट से अधिक कारपेट एरिया में कार्य कराने के पूर्व सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बिन्दु पर आरोपी पदाधिकारी का उत्तर स्पष्ट नहीं हैं। इसलिए द्वितीय कारणपृच्छा की यह कंडिका भी स्वीकार योग्य नहीं है।

(v) योजना सं0–06/04–05 में कूप निर्माण की गहराई 32फीट होनी चाहिए थी परंतु स्थलीय जाँच में इसकी गहराई 13फीट 6 इंच पाये जाने तथा मापीपुस्त में प्राक्कलन के अनुसार कार्य दर्ज होने के संबंध में आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने द्वितीय कारणपृच्छा में अंकित किया गया है कि योजना व्यक्तिगत लाभ की है एवं कार्यपूर्ण होने के चार वर्षों बाद तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण कुआँ की गहराई कम होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। परंतु आरोपी का उक्त स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण कूप की गहराई 32 फीट के स्थान पर 13फीट 6 इंच हो जाने का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता तथा बांका जिला बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी नहीं है।

(vi) योजना सं0–07/04–05 में प्राक्कलन के अनुसार 2 फीट 6 इंच x 4 फीट के दो अदद स्टील खिड़की का कार्य कराये जाने एवं मापीपुस्त में लोकल लकड़ी के एक दरवाजा एवं एक खिड़की की प्रविष्टि किये जाने के संबंध में आरोपी पदाधिकारी का यह कथन कि लाभुक द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार कार्य में कुछ परिवर्तन किया गया है, स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि प्राक्कलन के अनुसार कार्य कराने की जिम्मेवारी संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता की थी जिसका निर्वहन नहीं किया गया।

उपर्युक्त पाये गये तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री श्रीवास्तव द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही बरती गयी है तथा कनीय अभियंता द्वारा तैयार किये गये मापीपुस्त की जाँच किये बगैर उसे सत्यापित किया गया। जिससे न

केवल कार्य की गुणवता खराब हुई अपितु योजना के अभिकर्त्ता को कराये गये वास्तविक कार्य से अधिक भुगतान किया गया जिसके लिए श्री श्रीवास्तव दोषी पाये गये हैं। परंतु उक्त प्रमाणित पाये गये आरोपों के बिन्दु पर अंतिम निर्णय लिये जाने से पूर्व श्री श्रीवास्तव, तत्कालीन सहायक अभियंता सम्प्रति कार्यपालक अभियंता के दिनांक 31.07.2016 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप सरकार के स्तर पर लिए गये निर्णय के आलोक में इनके विरूद्ध पूर्व संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश सं0–256 सहपठित ज्ञापांक 1747, दिनांक 12.08.2016 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित करते हुए विभागीय पत्रांक–1976, दिनांक 06.09.2016 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत द्वितीय कारणपृच्छा किया गया।

श्री श्रीवास्तव, तत्कालीन सहायक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता के द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा के उत्तर, दिनांक 07.10.2016 की समीक्षा पुनः सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए श्री मुकुल कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल सं0–2, बांका सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता को निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया :–

"पेंशन से 10(दस) प्रतिशत की स्थायी रूप से कटौती"

उक्त दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त है।

सरकार के स्तर पर लिये गये उक्त निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री मुकुल कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल सं0–2, बांका सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता को निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए संसूचित किया जाता है :–

"पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की स्थाीय रूप से कटौती"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 508–571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in